10/10/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित।
प्रार्थना पत्र व दिनांक 25.06.2024 को जारी T.C. निरस्त
किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर
शामिल किया जावे। नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/400

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.14 17:02:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर .

पीठासीन अधिकारी: संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 167/24 **दायर दिनांक:– 25–06–2024**

GCMS:- 2024/400

नोरंगलाल पुत्र श्री हजारीराम जाति कुम्हार साकिन 6 ई छोटी तहसील व जिला श्री गंगानगर राज0

––– वादी

बनाम

1– मैन पाल पुत्र श्री कालूराम जाति कुम्हार साकिन वार्ड न0 4 खौथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राज0

2– कृष्णादेवी पत्नी हंसराज फौत

2/1–निर्मला पत्नी विक्रमसिंह पुत्री कृष्णादेवी जाति कुम्हार साकिन 6 ई छोटी तहसील व जिला श्री गंगानगर राज0

2/2– मोहनलाल पुत्र श्री कृष्णा देवी फौत

2/2/1–सीमा पत्नी मोहनलाल जाति कुम्हार साकिन 6 ई छोटी तहसील व जिला श्री गंगानगर

3– कालुराम पुत्र श्री हजारीराम फौत

3/1– अजय पुत्र श्री कालुराम जाति कुम्हार साकिन कलर खेड़ा खेत में ढाणी जण्डवाला हनुमन्ता रोड़ पर कुलचानिया की ढाणी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का

3/2– प्रेम पुत्र श्री कालूराम फौत

3/2/1– पार्वती देवी पत्नी प्रेम जाति कुम्हार साकिन कलर खेड़ा खेत में ढाणी जण्डवाला हनुमन्ता रोड़ पर कुलचानिया की ढाणी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का

4– उप पंजीयक सूरतगढ ।

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ पेरोकार राज

–––– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिकारी 1955

उपस्थित :–

1– श्री रामप्रताप तिवाड़ी अभिभाषक प्रार्थी।

2– श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

–:– निर्णय –:– दिनांक:– 10·10·2024

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषकगण प्रार्थी , अप्रार्थी नं0 1 उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1 व 3 के नाम से संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 20 एस टी बी ए तहसील सूरतगढ के खाता सं0 162/108 के प0न0 48/336 मु0न0 68 के किला नं0 2/1 ता 9, 13 ता 18, 23 ता 25/4.301 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा अर्थात 0.860हिस्सा खातेदारी भूमि , अप्रार्थी सं0 1 का 2/5 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 2 का 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 3 की 1/5 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जैरवाद भूमि का आपस में घरेलू बंटवारा किया हुआ है । प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 2 ता 3 का उक्त भूमि के प0न0 48/336 मु0न0 68 के किला न0 7 में 0.051 है0 नहरी पश्चिमी पासा , 9/0.253 है0 नहरी, [illegible] 18/1.518 है0 नहरी, 23 ता 25/ 0.759है0 नहरी कुल 2.581 है0 नहरी खातेदारी भूमि [illegible] बाहिस्सा बराबर चला आ रहा है। जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 2 ता 3 शांतिपूर्वक काश्त [illegible] आ रहे है । शेष किला नं0 2 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.14 17:02:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

6/1.518 है0 नहरी मय रास्ता , 7 मे 0.202 है0 नहरी पुर्वी पासा कुल 1.720 हे0 भूमि पर कब्जा कास्त प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 2 ता 3 के सहकास्तकार का था। सहकास्तकार से अप्रार्थी सं0 1 ने जैरवाद भूमि में 2/5 हिस्सा की भूमि जरिये बैयनांमा खरीद कर ली । सहकास्तकार द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को कब्जा मौका पर नही दिया गया। आज भी अप्रार्थी सं0 1 का कब्जा कास्त जैरवाद भूमि पर नही है प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 2 व 3 जैरवाद भूमि पर आज तक कब्जा कास्त बदस्तुर लगातार चला आ रहा है। प्रार्थी अपने कब्जा कास्त अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहता है । अप्रार्थी नं0 1 नाजायज फायदा उठाने की गर्ज से प्रार्थी की कब्जा कास्त खातेदारी भूमि में जबरन कब्जा करने की फिराक में है। अप्रार्थी सं0 1 अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरपाई रूपयो पैसो से नही हो सकेगी। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 को चिरस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहता है कि जैरवाद भूमि को वाद के निर्णय तक रहन बेचान न करे, प्रार्थी के कब्जा कास्त में ना तो स्वयं दखलन्दाजी करे ना किसी अन्य से करावे, मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड समन से तलब किया गया। अप्रार्थी नं0 1 जरिये अभिभाषक हाजिर हुआ तथा प्रार्थना–पत्र का जबाब प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । जिसमें प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1 व 3 के नाम से संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 20 एस टी बी ए तहसील सूरतगढ के खाता सं0 162/108 के प0न0 48/336 मु0न0 68 के किला नं0 2/1 ता 9, 13 ता 18, 23 ता 25/4.301 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा अर्थात 0.860हिस्सा खातेदारी भूमि , अप्रार्थी सं0 1 का 2/5 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 2 का 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 3 की 1/5 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जैरवाद भूमि का आपस में घरेलू बंटवारा किया हुआ है । प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 2 ता 3 का उक्त भूमि के प0न0 48/336 मु0न0 68 के किला न0 7 में 0.051 है0 नहरी पश्चिमी पासा , 9/0.253 हे0 नहरी , 13 ता 18/1.518 है0 नहरी, 23 ता 25/0.759है0 नहरी कुल 2.581 है0 नहरी खातेदारी भूमि पर कब्जा कास्त बहिस्सा बराबर चला आ रहा है। जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 2 ता 3 शातिपूर्वक कास्त करते आ रहे है । शेष किला नं0 2 ता 6/1.518 है0 नहरी मय रास्ता , 7 मे 0.202 है0 नहरी पुर्वी पासा कुल 1.720 हे0 भूमि पर कब्जा कास्त प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 2 ता 3 के सहकास्तकार का था। सहकास्तकार से अप्रार्थी सं0 1 ने जैरवाद भूमि में 2/5 हिस्सा की भूमि जरिये बैयनांमा खरीद कर ली । सहकास्तकार द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को कब्जा मौका पर नही दिया गया। अप्रार्थी नं0 1 नाजायज फायदा उठाने की गर्ज से प्रार्थी की कब्जा कास्त खातेदारी भूमि में जबरन कब्जा करने की फिराक में है। अप्रार्थी सं0 1 अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरपाई रूपयो पैसो से नही हो सकेगी तथा वाद–पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए अप्रार्थी नं0 1 को जैरवाद भूमि के मौका व रिकार्ड यथावत बनाये रखने एव रहन बेचान न करने का वाद–पत्र के निर्णय तक निषेधाज्ञा को यथावत रखने का निवेदन किया ।

अप्रार्थी नं0 1 के अभिभाषक ने जबाब प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1 व 3 के नाम से संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 20 एस टी बी ए तहसील सूरतगढ के खाता सं0 162/108 के प0न0 48/336 मु0न0 68 के किला नं0 2/1 ता 9, 13 ता 18, 23 ता 25/4.301 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.14 17:02:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

अर्थात 0.860हिस्सा खातेदारी भूमि , अप्रार्थी सं0 1 का 2/5 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 2 का 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 3 की 1/5 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण हिस्सानुकसान कास्त करते आ रहे है । प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब के आधार पर रास्ता खाला की सुविधा अनुसार खाता विभाजन करवाने के हकदार है व प्रार्थी का जैरवाद भूमि में 1/5 हिस्सा यानि 0.860 है0 भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है अन्य शेष भूमि प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है । रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ एक तरफा स्थगन आदेश बिना सुनवाई के व खातेदार के खिलाफ स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता है । इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र शुरू से शुन्य होने से निरस्त योग्य है । क्योकि मौका पर अप्रार्थी नं0 1 खातेदार कृषक है व उक्त स्थगन की वजह से सरकारी सुविधा व ऋण लेने से वंचित हो रहा है । न्यायालय के निर्णय से यह सिद्धान्त प्रतिपादित है कि खातेदार के खिलाफ स्थ्गन आदेश जारी नही किया जा सकता इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज योग्य है । जो अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थन-पत्र के साथ बहस पर अपनी नजिरे प्रस्तुत कि है वो उक्त प्रकरण पर चस्पा नही होती है । इसलिए भी प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र. निरस्त योग्य है । तथा उक्त प्रकरण में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला साबित होता है ना ही सुविधा का संतुलन व ना पुरा होने वाला नुकसान साबित प्रार्थी के पक्ष में नही होना प्रतित हो रहा है ।

बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावैजो का गहनता से पठन व मनन किया गया । प्रार्थना-पत्र में वर्णित रकबा वाके चक 20 एस टी बी ए तहसील सूरतगढ के खाता सं0 162/108 के प0न0 48/336 मु0न0 68 के किला नं0 2/1 ता 9, 13 ता 18, 23 ता 25/4.301 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि में अप्रार्थी नं0 1 का 2/5 हिस्सा खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है । रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ प्रार्थी अपना ना पुरा होने वाला नुकसान व सुविधा का संतुलन प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असमर्थ रहा है इसलिए भी रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ जारी किया गया एक तरफा स्थगन आदेश निरस्त किया जाना उचित समझते है ।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र आधारहिन एव मन गढंत तथ्यों पर दर्ज होने से निरस्त किया जाता है व पूर्व में जारी स्थगन दिनांक 25-06-2024 को निरस्त फरमाया जाता है । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सदीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.14 17:02:52 IST
Reason: SelfAttested